(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1607—एक/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—08—2004 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर सतना के प्रकरण क्रमांक 199/निगरानी/2003—04

.....

मनीराम तनय श्री लक्ष्मी प्रसाद
निवासी—चौबेपुर तहसील मझगवां,
जिला—सतना, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1— शारदा प्रसाद तनय श्री जगन्नाथ बारी
2— विजय कुमार तनय श्री वृन्दावन बारी
3— अजय कुमार तनय श्री वृन्दावन बारी
निवासीगण— निवासी—चौबेपुर तहसील मझगवां,
जिला—सतना, म0प्र0
4— मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत चित्रकूट
जिला—सतना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुवंर सिंह कुशवाह, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 01/6/2017 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—08—2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (संक्षेप में आगे जिसे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 331 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चित्रकूट के समक्ष अनावेदक क्र0 1 व 2 ने इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि गुप्तगोदावरी गुफाओं में गैसबत्ती दिखाये जाने के कमीशन राशि में 1/3, 1/3 हिस्सा दिया जाये। जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चित्रकूट ने आवेदक तथा अनावेदक क्र0 1 को सम्बंधित पत्र क्र0 3906/2001 दिनांक 02.08.2001 के द्वारा गुप्तगोदावरी गुफाओं में गैसबत्ती दिखाये जाने पर एक टिकिट पर कमीशन राशि पर अनावेदक क्र0 1, 2 व 3 को आधा–आधा (1/2, 1/2) का हकदार माना व अनावेदक क्र0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को निरस्त किया। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेकगण द्वारा अपील अपर कलेक्टर, जिला–सतना के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 199/निगरानी/2003–04 पर दर्ज होकर दिनांक 26.08.2004 से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चित्रकूट द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2001 निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर सतना के आदेश दिनांक 26.08.2004 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चित्रकूट ने आदेश जारी करने के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को सुने जाने तथा उनसे जवाब लिये जाने एवं पात्रता निर्धारित कर समुचित जांच किये जाने का कोई भी दस्तावेज भी प्रकरण में संलग्न नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में नगर पंचायत अधिकारी, दिनांक 17.10.2003 को उपस्थित भी हुये थे तथा उनके द्वारा मूल अभिलेख हेतु समय भी चाहा गया था, किन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नाधीन आदेश पारित करने के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान ही नहीं किया गया, ऐसा आदेश विधिक प्रक्रिया के विपरीत है। अपर कलेक्टर सतना ने अपने प्रकरण क्रमांक 199/निगरानी/2003–04 में पूर्ण विवेचना कर दिनांक 26.08.2004 से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चित्रकूट द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 02.08.2001 को

निरस्त करने में कोई त्रुटी नहीं की है, जो न्यायसंगत है। अतः अपर कलेक्टर सतना का आदेश दिनांक 26.08.2004 विधिनुकूल एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर